

जॉनी डी' कूटो

बनाम

तमिलनाडु राज्य

4 नवम्बर, 1987

[रंगनाथ मिश्रा एवं एस. रंगनाथन, न्यायमूर्तिगण]

*विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण गतिविधियां अधिनियम, 1974 : धारा 8(ड) — नजरबंद व्यक्ति का अभ्यावेदन — सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार — क्या नजरबंद व्यक्ति किसी मित्र की सहायता प्राप्त करने का हकदार है।*

नजरबंद व्यक्ति, जो लगभग 26 अथवा 27 वर्ष का एक समाशोधन एवं अग्रेषण अभिकर्ता था, को कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3(1)(i) के अधीन निरूद्ध किया गया था। जिस दिन अभ्यावेदन की सुनवाई सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई, उस दिन निरोधक प्राधिकारी की ओर से एक उप समाहर्ता तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक अधीक्षक सहायता कर रहे थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक सेवानिवृत्त सहायक समाहर्ता को मित्र के रूप में अपनी सहायता करने की अनुमति देने का नजरबंद व्यक्ति का विशिष्ट अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वह नजरबंद व्यक्ति का मित्र नहीं था, यद्यपि वह व्यक्ति अपने व्यावसायिक अनुभव के कारण नजरबंद व्यक्ति की सहायता करने के लिए इच्छुक था। सलाहकार बोर्ड की संस्तुति पर निरोध आदेश की पुष्टि कर दी गई।

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दायर रिट याचिका में, जिसमें निरोध आदेश को चुनौती दी गई थी, नजरबंद व्यक्ति की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसे उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी की सहायता प्राप्त करने का अधिकार था, क्योंकि बोर्ड के समक्ष विचाराधीन मामले में ऐसे तथ्य अंतर्विष्ट थे जिनके लिए विधिक उपबंधों तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं व्यवहार की जानकारी आवश्यक थी और जिनसे वह भली-

भांति परिचित नहीं था। रिट याचिका खारिज कर दिए जाने पर, नजरबंद व्यक्ति के पिता ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति से अपील दायर की।

अपील स्वीकृत करते हुए,

यह अभिनिर्धारित किया गया :— 1.1 नजरबंद व्यक्ति किसी मित्र की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी था। सलाहकार बोर्ड द्वारा उसे उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी की सहायता प्राप्त करने की अनुमति न देना अनुचित था और उसका निरंतर निरोध विधि-विरुद्ध हो गया। [793 ई-एफ]

1.2 नजरबंद व्यक्ति विधिक उपबंधों तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं व्यवहार से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं था। यदि उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी को उसकी सहायता करने की अनुमति प्रदान कर दी गई होती, तो उसका पक्ष सलाहकार बोर्ड के समक्ष अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, जब निरोधक प्राधिकारी को एक उप समाहर्ता तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक अधीक्षक की सहायता प्राप्त थी, जो विधिक सलाहकारों की भूमिका निभा रहे थे, तब नजरबंद व्यक्ति द्वारा मांगी गई सहायता को अस्वीकार करने का बोर्ड के पास कोई औचित्य नहीं था। अतः सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसे निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया। [792 जी-एच]

*नंद लाल बजाज बनाम पंजाब राज्य*, [1982] 1 एस सी आर 718; *श्रीमती कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य*, [1982] 1 एस सी आर 138 तथा *ए.के. रॉय आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य*, [1982] 2 एस सी आर 272, अनुसरण किया गया।

2.1 इस न्यायालय के निर्णयों में प्रयुक्त 'मित्र' शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक व्यापक है जो केवल किसी अन्य व्यक्ति से भली-भांति परिचित हो तथा उसके प्रति स्नेह, अनुराग और निष्ठा रखता हो। इसका आशय किसी ऐसे व्यक्ति से भी है जो किसी पक्ष अथवा उद्देश्य का समर्थक हो। अतः जो व्यक्ति सामान्य अर्थ में मित्र न हो, उसे भी इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार सलाहकार बोर्ड के समक्ष सहायता प्रदान करने के लिए नजरबंद व्यक्ति द्वारा चुना जा सकता है। [793 बी-सी]

2.2 निस्संदेह, सलाहकार बोर्ड को किसी मित्र की सहायता की अनुमति देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इस विधिक नीति का पालन सुनिश्चित हो सके कि नजरबंद व्यक्ति किसी अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिस कार्य की प्रत्यक्ष रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती, उसे परोक्ष रूप से किए जाने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। [793 सी-डी]

3. निवारक निरोध से संबंधित कार्यवाहियां कठोर प्रकृति की होती हैं और उनमें विधि की अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन आवश्यक है। सहायता से वंचित किए जाने के कारण नजरबंद व्यक्ति को कितनी क्षति हुई, इसका परीक्षण और मूल्यांकन करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है। [793 डी-ई]

4. निरोध आदेश निरस्त किया जाता है। नजरबंद व्यक्ति को तत्काल मुक्त किया जाए।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1987 की आपराधिक अपील सं. 232।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 1986 की रिट याचिका सं. 6290 में दिनांक 23.02.1987 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

के.के. वेणुगोपाल, सी.एस. वैद्यनाथन, प्रोबीर चौधरी, एस.आर. भट्ट तथा एस.आर. सेतिया — अपीलकर्ता की ओर से।

एम.एम. अब्दुल खादर तथा ए.वी. रंगम — उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय ;

माननीय न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा द्वारा प्रदत्त — यह अपील विशेष अनुमति द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलकर्ता ने विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण गतिविधियाँ अधिनियम, 1974 (संक्षेप में "कोफेपोसा") की धारा 3(1)(i) के अधीन पारित अपने निरोध आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी, परन्तु वह आवेदन निरस्त कर दिया गया। रिट याचिका में उठाए गए अनेक बिन्दुओं में से लगभग

छह तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। यद्यपि अपीलकर्ता की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क नहीं उठाया गया था कि सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसे निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया, तथापि अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष उक्त बिन्दु उठाया है। चूँकि जिन तथ्यों पर यह आधार आधारित है वे विवादित नहीं हैं, इसलिए इस अपील में विशेष रूप से उठाए गए इस तर्क पर विचार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलकर्ता के अभ्यावेदन की सुनवाई सलाहकार बोर्ड द्वारा 25 नवम्बर, 1986 के लिए नियत की गई थी। उस दिन अपीलकर्ता ने विशेष रूप से सलाहकार बोर्ड से अनुरोध किया कि उसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सेवानिवृत्त सहायक संग्राहक श्री सुन्दरराजन को अपने मित्र के रूप में सहायता हेतु साथ रखने की अनुमति दी जाए। इस न्यायालय में दायर प्रति-शपथपत्र से प्रतीत होता है कि बोर्ड ने उक्त अनुरोध अस्वीकार कर दिया। प्रति-शपथपत्र में कहा गया है :—

“सलाहकार बोर्ड ने सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद 2 और 3 में निरुद्ध व्यक्ति के एक मित्र, अर्थात् श्री सुन्दरराजन, की सहायता प्राप्त करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अपने निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं। सलाहकार बोर्ड ने अनुच्छेद 2 में कहा है कि निरुद्ध व्यक्ति ने केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग के सेवानिवृत्त सहायक संग्राहक श्री सुन्दरराजन की सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। सलाहकार बोर्ड ने अनुच्छेद 3 में कहा है कि श्री सुन्दरराजन उसके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि वे पूर्व में सीमा शुल्क विभाग में कार्यरत थे तथा वे निरुद्ध व्यक्ति की सहायता करना चाहते थे। उसी अनुच्छेद में सलाहकार बोर्ड ने यह भी कहा है कि श्री सुन्दरराजन ने उसके समक्ष स्वीकार किया था कि वे निरुद्ध व्यक्ति के मित्र नहीं हैं और अपने व्यावसायिक अनुभव के कारण वे उसकी सहायता करना चाहते थे। उसी अनुच्छेद में सलाहकार बोर्ड ने यह निष्कर्ष तथा कारण भी दिए

हैं कि चूँकि श्री सुन्दरराजन निरुद्ध व्यक्ति के मित्र नहीं थे, इसलिए निरुद्ध व्यक्ति के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है। सलाहकार बोर्ड ने यह उचित नहीं समझा कि श्री सुन्दरराजन को निरुद्ध व्यक्ति के मामले का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए।”

यह विशेष अनुमति याचिका तथा प्रति-शपथपत्र में किए गए कथनों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने सुनवाई के समय बोर्ड से अपने एक मित्र की सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था और प्रति-शपथपत्र में दर्शाए गए कारणों तथा रीति से उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

विशेष अनुमति याचिका के अनुच्छेद 9 में अपीलकर्ता ने अभिकथन किया था कि 25 नवम्बर, 1986 को निरोध प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व सीमा शुल्क विभाग के उप-संग्राहक तथा अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष दायर प्रति-शपथपत्र में इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है। उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी अभिलेख तथा उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस अभिकथन का विवाद नहीं किया कि सलाहकार बोर्ड के समक्ष सुनवाई में विभाग का प्रतिनिधित्व सीमा शुल्क विभाग के एक उप-संग्राहक द्वारा किया गया था। अतः स्थिति यह है कि 25 नवम्बर, 1986 को, जबकि निरोध प्राधिकारी को एक उप-संग्राहक तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक अधीक्षक की सहायता प्राप्त थी, वहीं निरुद्ध व्यक्ति को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक सेवानिवृत्त सहायक संग्राहक की सहायता से वंचित कर दिया गया। सलाहकार बोर्ड की संस्तुति पर निरोध आदेश की पुष्टि कर दी गई।

अपीलकर्ता मद्रास का एक समाशोधन एवं अग्रोषण अभिकर्ता है और उसकी आयु लगभग 26 या 27 वर्ष बताई गई है। बोर्ड के समक्ष विचाराधीन मामले में ऐसे तथ्य सम्मिलित थे जिनके लिए विधिक उपबंधों तथा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं व्यवहार की जानकारी अपेक्षित थी। अपीलकर्ता का यह कथन है कि वह

इन विषयों से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं था और इसी कारण उसने श्री सुन्दरराजन की सहायता चाही थी तथा उन्हें उस दिन बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों में हम इस कथन को अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं कि यदि सुन्दरराजन को अपीलकर्ता की सहायता करने की अनुमति दे दी गई होती, तो उसका पक्ष सलाहकार बोर्ड के समक्ष अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता था।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में दो पहलुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है—(1) क्या अपीलकर्ता श्री सुन्दरराजन की एक मित्र के रूप में सहायता प्राप्त करने का अधिकारी था; और (2) जब निरोध प्राधिकारी को एक उप-संग्राहक तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक अधीक्षक की सहायता प्राप्त थी, तब क्या अपीलकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक सेवानिवृत्त सहायक संग्राहक की सहायता प्राप्त करने का अनुरोध न्यायोचित था और क्या उसे अस्वीकार किया जाना अनुचित था? इस न्यायालय की द्वि-न्यायाधीशीय पीठ ने *नन्द लाल बजाज बनाम पंजाब राज्य*, [1982] 1 एस सी आर 718 में सलाहकार बोर्ड के समक्ष निरुद्ध व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान किए जाने के प्रश्न पर विचार किया था। उसमें इस न्यायालय के *श्रीमती कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य*, [1981] 1 एस सी आर 138 के निर्णय का उल्लेख किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति चिनप्पा रेड्डी ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी :—

“यह सत्य है कि धारा 8(ड) निरुद्ध व्यक्ति को अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार दावा करने से वंचित करती है, किन्तु यह उसे अधिवक्ता की सेवाएँ प्राप्त करने का अनुरोध करने से वंचित नहीं करती।”

विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा :—

“अनेक मामलों में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उस मूल अधिकार की रक्षा के लिए, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है, तथा कोफेपोसा

अधिनियम की धारा 8(ड) द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को प्रदान किए गए सुनवाई के अधिकार के प्रभावी प्रयोग हेतु पर्याप्त विधिक सहायता आवश्यक हो सकती है।”

न्यायमूर्ति रेड्डी ने आगे यह भी अभिलक्षित किया :—

“अतः जहाँ कोई निरुद्ध व्यक्ति विधिक सहायता का अनुरोध करता है, वहाँ उसके अनुरोध पर प्रत्येक मामले के अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में सरकार ने केवल इतना सूचित किया कि उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। चूँकि निरुद्ध व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करने का निर्णय सरकार का नहीं, बल्कि सलाहकार बोर्ड का विषय था, इसलिए जब उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब वह, यदि ऐसा करना चाहता, तो अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु सलाहकार बोर्ड से अनुरोध कर सकता था।”

नन्द लाल के मामले (उपरोक्त) में न्यायमूर्ति सेन ने यह अभिलक्षित किया :—

“..... यद्यपि निरुद्ध व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान नहीं की गई थी, तथापि निरोध प्राधिकारी को अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुमति दी गई थी। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के प्रावधानों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही में निरुद्ध व्यक्ति को विधिक सहायता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, किन्तु इससे बोर्ड को निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी सहायता प्रदान करने से नहीं रोका गया था, विशेषकर उस स्थिति में जब राज्य को अधिवक्ताओं के एक समूह द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुमति दी गई थी।”

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने ए. के. राय आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1982]

2 एस सी आर 272 में इस पहलू पर विचार किया था। न्यायालय की ओर से निर्णय व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड ने कहा :—

“अतः हमें, यद्यपि खेद के साथ, यह धारित करना पड़ता है कि निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही में किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तथापि, यहाँ एक महत्वपूर्ण अपवाद का उल्लेख करना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 22(4)(ख) में निहित उपबंधों के पीछे का उद्देश्य स्पष्टतः यह है कि सलाहकार बोर्ड के समक्ष किसी भी पक्ष की ओर से किसी विधि व्यवसायी को उपस्थित होने की अनुमति न दी जाए। संविधान यह परिकल्पना नहीं करता कि निरोध प्राधिकारी अथवा सरकार को सलाहकार बोर्ड के समक्ष किसी विधि व्यवसायी या विधिक सलाहकार की सहायता से उपस्थित होने की सुविधा प्राप्त हो, जबकि वही सुविधा निरुद्ध व्यक्ति को प्रदान न की जाए। किसी भी स्थिति में संविधान ऐसा नहीं कहता और अनुच्छेद 22 के उपबंधों में ऐसा अर्थ आरोपित करना सर्वथा अनुचित होगा। यदि निरोध प्राधिकारी अथवा सरकार को सलाहकार बोर्ड के समक्ष किसी विधि व्यवसायी या विधिक सलाहकार की सहायता से उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, जबकि निरुद्ध व्यक्ति को ऐसी समान सुविधा से वंचित रखा जाता है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसलिए हम यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि यदि निरोध प्राधिकारी अथवा सरकार सलाहकार बोर्ड के समक्ष किसी विधि व्यवसायी या विधिक सलाहकार की सहायता लेती है, तो निरुद्ध व्यक्ति को भी किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। हमें अवगत कराया गया है कि संबंधित विभागों के सरकारी अधिकारी प्रायः बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हैं और निरोध आदेशों का औचित्य सिद्ध करने के उद्देश्य से उसकी सहायता करते हैं। यदि ऐसा है, तो हम यह स्पष्ट करते हैं कि बोर्डों को प्राधिकारियों को परोक्ष रूप से वह कार्य करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिसे वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। किसी को भी इस बहाने की आड़ लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि ऐसे अधिकारी ‘विधि व्यवसायी’ या

‘विधिक सलाहकार’ नहीं हैं। रूप की अपेक्षा सार पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से सलाहकार बोर्ड की कार्यवाहियों जैसे मामलों में, जो कोई भी विधि के प्रश्नों पर सहायता या परामर्श देता है, उसे विधिक सलाहकार की स्थिति में माना जाना चाहिए। हमें आशा है कि सलाहकार बोर्ड यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरतेंगे कि उनके समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14 के उपबंधों का किसी भी प्रकार उल्लंघन न हो .....।”

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता इस बात का विवाद नहीं करते कि ऊपर जो कहा गया है वही इस मामले के तथ्यों पर लागू होने वाला विधि-सिद्धांत है। हम पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि निरोध प्राधिकारी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के उप-संग्राहक तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के एक अधीक्षक की सहायता प्राप्त थी। मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड के शब्दों में, “वे विधिक सलाहकारों की भूमिका निभाते हैं।” ऐसी परिस्थितियों में बोर्ड के पास अपीलकर्ता को श्री सुन्दरराजन की सहायता से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं था।

ए. के. राय के मामले (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट हो गया था कि निरुद्ध व्यक्ति एक “मित्र” की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी था। वहाँ प्रयुक्त “मित्र” शब्द का आशय स्पष्टतः सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त अर्थ से नहीं था। कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार “मित्र” शब्द का एक अर्थ “किसी संघर्ष या उद्देश्य में सहयोगी अथवा समर्थक” भी है। इस न्यायालय के निर्णयों में प्रयुक्त “मित्र” शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में अधिक किया गया है, न कि ऐसे व्यक्ति के अर्थ में जो किसी अन्य से घनिष्ठ रूप से परिचित हो तथा जिसके प्रति स्नेह, अनुराग और निष्ठा का भाव रखा जाता हो। सामान्य अर्थ में मित्र न होने वाला व्यक्ति भी, इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दायरे में, सहायता प्रदान करने के लिए चुना जा सकता है। निस्संदेह, सलाहकार बोर्ड को किसी “मित्र” द्वारा सहायता की अनुमति देते समय सावधानी बरतनी होगी, ताकि इस विधिक नीति का समुचित पालन सुनिश्चित किया जा सके कि निरुद्ध व्यक्ति किसी अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए

जाने का अधिकारी नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने इंगित किया है, जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से अनुमेय नहीं है, उसे परोक्ष रूप से भी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुन्दरराजन ऐसे मित्र थे जो सलाहकार बोर्ड के समक्ष निरुद्ध व्यक्ति की सहायता करने के लिए तत्पर थे और अपीलकर्ता को ऐसी सहायता से वंचित करना न्यायोचित नहीं था। इस न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि वह यह परीक्षण या मूल्यांकन करे कि ऐसी अस्वीकृति के कारण अपीलकर्ता को वास्तव में कितनी हानि पहुँची। इस न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया है कि निवारक निरोध से संबंधित कार्यवाहियाँ कठोर प्रकृति की होती हैं और उनमें विधि की अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

मामले के तथ्यों तथा लागू विधि की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, हमें यह धारित करना पड़ता है कि अपीलकर्ता को एक मित्र के रूप में सुन्दरराजन की सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने से सलाहकार बोर्ड का इनकार अवैध था और फलस्वरूप अपीलकर्ता का निरोध दूषित हो गया। तदनुसार, यह अपील स्वीकृत की जाती है तथा निरोध आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को तत्काल मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

पी.एस.एस.

अपील स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।